तोड़फोड़ के बीच खोरी में भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली पुनर्वास नीति पेश

एमसीएफ अफ़सरों व कर्मचारियों को रिश्वत दिए बिना नहीं मिलेंगे फ़्लैट

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फ़रीदाबाद: नगर निगम फ़रीदाबाद (एमसीएफ) और ज़िला प्रशासन ने मंगलवार को खोरी के लोगों को बसाने के लिए बहुत ही लचर पुनर्वास नीति घोषित की। लेकिन इस नीति को लागू करने से पहले बुधवार से खोरी में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। खोरी के लोगों ने इस तोड़फोड़ का कोई विरोध नहीं किया, बस मायूस नज़रों से जेसीबी का ख़ंजर अपने मकानों पर चलता हुआ देखते रहे। तोड़फोड़ की कार्रवाई अभी कई दिन चलेगी।

मंगलवार को घोषित पुनर्वास नीति को बिना किसी संयुक्त सर्वे (एमसीएफ खोरी के लोगों की कमेटी) के जारी किया गया है। एमसीएफ की इस नीति से भ्रष्टाचार का नया रास्ता खोला जा रहा है। खोरी के लोगों में से मकान उन्हीं को मिलेंगे जो एमसीएफ के अफ़सरों और कर्मचारियों को रिश्वत देंगे। नगर निगम की यह पुनर्वास नीति बहुत बड़ा स्कैंडल साबित होने जा रही है। वैसे भी क़रीब पौने चार लाख रूपये में मिलने वाले ये फ़्लैट इतने छोटे हैं कि चार लोगों के एक परिवार का गुज़ारा मुश्किल से हो पाएगा।

विरोध का हौसला टूटा

खोरी से अवैध क़ब्ज़ा हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश 7 जून को आया था। एमसीएफ को डेढ़ महीने का समय दिया गया था। एक महीना तो फ़ालतू क़वायद में निकल गया लेकिन अब जब दस दिन बचे तो 14 जुलाई से कार्रवाई शुरू कर दी गई। प्रशासन यहाँ हिंसा होने की आशंका से डरा हुआ था। एक समुदाय विशेष को लक्ष्य करके गोदी मीडिया में खबरें छपवाई गईं कि यहाँ खूनखराबा हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बस्ती में तोड़फोड़ के समय काफ़ी लोग थे लेकिन किसी ने नारा तक नहीं लगाया। बारिश की वजह से यह कार्रवाई रोकनी पड़ी लेकिन गुरूवार से फिर शुरू हो गई। हालाँकि इस कार्रवाई से पहले सोमवार और मंगलवार को पुलिस ने बस्ती के कुछ लोगों को जबरन उठा लिया था। उनमें से कुछ लौट आए, कुछ का पता नहीं। समझा जाता है कि ऐसा बस्ती के लोगों को डराने के लिए किया गया।

क्या है नगर निगम की घोषणा

एमसीएफ कमिश्नर गरिमा मित्तल ने मंगलवार को डीसी यशपाल यादव की मौजूदगी में जो पुनर्वास नीति खोरी के लिए घोषित की है, उसके मुताबिक़ इस योजना के तहत फ़्लैट सिर्फ़ उन लोगों को मिलेंगे, जिनके पास बड़खल विधानसभा क्षेत्र का वोटर कार्ड, परिवार पहचान पत्र या डीएचबीवीएन द्वारा जारी बिजली कनेक्शन का प्रमाण होगा।

कमिश्नर ने बताया कि फ़रीदाबाद की डबुआ कॉलोनी व बापू नगर में ये फ्लैट उपलब्ध करवाए जाएंगे। आवेदन के लिए शिविर लगेंगे। जो लोग खुद शांतिपूर्ण ढंग से मकान खाली करेंगे, उन्हें फ्लैट आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। इस कैंप की ज़िम्मेदारी ज्वाइंट कमिश्नर जितेन्द्र यादव को दी गई है।

गरिमा के मुताबिक़ फ़्लैट के लाभार्थी परिवार की आय 3 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो। जब तक डबुआ में मकानों की मरम्मत का कार्य पूरा नहीं होता, तब तक संबंधित व्यक्ति को कहीं अन्य मकान किराए पर लेने के लिए 2 हजार रुपये प्रतिमाह 6 महीने तक उपलब्ध कराए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति पुर्नवास योजना के तहत निर्धारित मानदंड पूरा करता होगा, उसे 3 लाख 77 हजार 500 रुपये मूल्य का फ्लैट दिया जाएगा। यह पैसे निर्धारित मासिक किश्तों में चुकाने होंगे।

इसमें फ्लैट अलॉटमेंट के 15 दिन के अंदर 17 हजार रुपये एकमुश्त जमा करवाने होंगे। इसके पश्चात 15 वर्षों तक 2500 रुपये की राशि मासिक कि?श्तों में देनी होगी।

ऐसे होगी स्कैंडल की शुरुआत

एमसीएफ का ज्वाइंट कमिश्नर कैंप लगाकर आवेदन लेगी। वहाँ लाइन लगेगी और पुलिस तैनात रहेगी। गरीब लोगों को ऐसी योजनाओं के फ़ॉर्म कैसे मिलते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। फ़ॉर्म की मंज़िल तय होने के बाद उसे दस्तावेज़ों के साथ जमा करना आसान नहीं है। पुलिस की मौजूदगी भी अपना हिस्सा माँगेगी। चलिए फ़ॉर्म जमा हो गए। अब सब कुछ उस ज्वाइंट कमिश्नर और इसके चंद विश्वासपात्र स्टाफ़ के हाथ में होगा कि वो किसके फ़ॉर्म को रिजेक्ट करेगा और किसे मंज़ूरी देगा। इसी मोड़ पर दलाल सक्रिय होंगे जो लाख - पचास हज़ार की रिश्वत के बदले फ़्लैट दिलवाने की ज़िम्मेदारी लेंगे। इनके अलावा राजनीतिक रसूख़ तो चलेगा ही।

संयुक्त सर्वे से भाग रहा एमसीएफ

खोरी के लोगों ने जिस मज़दूर आवास संघर्ष समिति का गठन किया था, वो शुरू से ही एमसीएफ और खोरी के नागरिकों की संयुक्त समिति से सर्वे कराने और उसी हिसाब से फ्लैट आवंटन की माँग की थी। लेकिन एमसीएफ कमिश्नर ने उस माँग को पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं किया।

मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव के सदस्य मोहम्मद सलीम ने बताया कि खोरी गांव के लोगों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के बजाय नगर निगम, नगर प्रशासन तथा मजदूर आवास संघर्ष समिति खोरी गांव की एक संयुक्त टीम गठित होनी चाहिए जो सर्वे का काम करें और पात्रता और अपात्रता वाले सभी परिवारों को सर्वे में सम्मिलित करें। उसके बाद जिन लोगों का नाम सर्वे में सम्मिलित नहीं किया गया या वह वंचित रह गए उन लोगों को भी 10 दिन का समय दिया जाए ताकि वह सर्वे में अपना नाम दाखिल करवा पाए। यह प्रक्रिया होने के बाद अंत में पात्रता एवं अपात्रता रखने वाले खोरी निवासियों को सूचीबद्ध कर अवगत कराया जाए।

समिति के सदस्य निर्मल गोराना ने कहा कि नगर निगम एवं नगर प्रशासन को मिलकर हरियाणा राज्य शहरी प्राधिकरण पुनर्वास योजना में संशोधन के लिए अपनी सिफ़ारिश हरियाणा सरकार को तत्काल भेजनी चाहिए। संशोधन इस रुप में होना चाहिए कि हरियाणा सरकार की पुनर्वास की योजना में कट ऑफ डेट 2003 है जिसे बदलकर 2020 करने की आवश्यकता है। पुनर्वास नीति में परिवर्तन कर खोरी गांव के समस्त परिवारों का उचित पुनर्वास करके हरियाणा सरकार अपना एक अच्छा उदाहरण साबित कर सकती है।

निर्मल गोराना ने बताया कि 1982 में जस्टिस पीएन भगवती के फैसले के अनुसार जब फरीदाबाद के खान मजदूरों को बंधुआ मजदूर स्वीकार किया गया और इसकी आवाज विश्व के कोने कोने में गई। आज फिर से वही अवसर आया है जहां हरियाणा सरकार मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए पुनर्वास नीति में संशोधन कर खोरी गांव के प्रत्येक परिवार को पुनर्वास प्रदान करके एक नई मिसाल कायम करें। क्योंकि वर्तमान पुनर्वास की नीति से सभी का पुनर्वास नहीं हो सकता है। 3 लाख की वार्षिक आय की सीमा को भी हटाने की आवश्यकता है।

इसी क्रम में नीमका जेल से छूट कर आए इकरार अहमद का कहना है की फिलहाल के लिए प्रशासन को तोड़फोड़ की कार्रवाई रोक देनी चाहिए और उचित पुनर्वास के बाद बेदखली के लिए सोचना चाहिए।

हूडा में रिजर्व प्राइस का खेल, 23 जुलाई की नीलामी में करोड़ों कमाने का टारगेट

व्यावसायिक और घरेलू प्लॉटों की होने वाली है बड़ी नीलामी, दलाल प्रॉपर्टी डीलर सक्रिय

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: हूडा फरीदाबाद के अफसर बड़े पैमाने पर हरियाणा सरकार को चूना लगाने की तैयारी कर चुके हैं। 23 जुलाई को हूडा फरीदाबाद कुछ व्यावसायिक और आवासीय के लिए प्लॉट की ई-नीलामी करने जा रहा है। लेकिन इसके लिए जो रिजर्व प्राइस रखे गए हैं, वे बाजार से बहुत कम कीमत पर हैं। हूडा खुद उन्हीं इलाकों में इससे पहले इससे कहीं महंगे प्लॉट बेच चुका है। यह ई-नीलामी एक सरकारी खानापूर्ति होगी, इसकी आड़ में नेताओं, अफसरों और प्रॉपर्टी डीलरों को सीधे-सीधे फायदा पहुंचाने का जाल बिछाया गया है। जाहिर है कि प्रॉपर्टी डीलरों से टेबल के नीचे से सौदा होगा। एनआईटी के तमाम प्रॉपर्टी डीलरों से हूडा फरीदाबाद दफ्तर के कुछ अफसरों ने संपर्क भी साधा है। डील पर रात-दिन बातचीत जारी है।

एस्टेट अफसर कर रहा कंट्रोल

फरीदाबाद के विभिन्न सेक्टरों में इस समय जमीनों के भाव आसमान छू रहे हैं। लेकिन हूडा के एस्टेट अफसर ने मुख्यालय से अनुमति लेकर तमाम प्लॉटों के रेट रिजर्व प्राइस की आड़ में गिरा दिए हैं। इस समय

हूडा फरीदाबाद का दफ्तर पूरी तरह से एस्टेट अफसर कंट्रोल कर रहा है। भ्रष्टाचार का ऐसा बोलबाला इससे पहले कभी नहीं देखा गया।

अर्बन एस्टेट 2 में बेसमेंट की 3 स्टोरी साइट (137.5 वर्गमीटर) का रिजर्व प्राइस 82 लाख 22 हजार 500 रुपये रखा गया है। इसी इलाके में हूडा ऐसे ही प्लॉट को एक करोड़ से ज्यादा के रिजर्व प्राइस में बेच चुका है। सेक्टर 9 में 111.48 वर्गमीटर के 3 स्टोरी एससीओ साइट का रिजर्व प्राइस 1 करोड़ 40 लाख 15 हजार 900 रुपये रखा गया है। इसमें बेसमेंट का हिस्सा भी शामिल है। इसी इलाके में हूडा ऐसी ही एससीओ साइट ढाई से तीन करोड़ रुपये में बेच चुका है। सेक्टर 16 में 29.85 वर्गमीटर का प्लॉट जिसमें बूथ और फर्स्ट फ्लोर शामिल है, इसका रिजर्व प्राइस 43 लाख 37 हजार 700 रुपये रखा गया है। यहां बेसमेंट नहीं है। हूडा इसी सेक्टर 16 में ऐसी साइट को 50 से 75 लाख रुपये में बेच चुका है।

शहर में प्रॉपर्टी के मामले में हॉट केक बने सेक्टर 21 सी (ग्रुप 1) में बूथ और पहली मंजिल पर स्टोरेज के लिए 22.69 वर्गमीटर के प्लॉट का रिजर्व प्राइस मात्र 34 लाख 63 हजार रुपये रखा गया है। यहां पर ऐसी प्रॉपर्टी हूडा ने 50 लाख से ऊपर के रेट में बेची है। इसी तरह सेक्टर 21 सी के ग्रुप 2, 3 और 4 में ऐसे कई दर्ज प्लॉट हैं जिनका रिजर्व प्राइस 34 से 39 लाख के बीच रखा गया है। सभी लगभग बूथ साइट हैं। सेक्टर 21 सी में इस वक्त कमर्शल प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, जिसे हूडा रिजर्व प्राइस की आड़ में लुटाने जा रहा है। सेक्टर 31 में बूथ की ऐसी ही साइट का का रिजर्व प्राइस मात्र 30 लाख 93 हजार 700 रुपये रखा गया है। सेक्टर 46 के तीनों ग्रुपों में बूथ साइटों का रिजर्व प्राइस 24 लाख 44 हजार 500 रुपये रखा गया है। सेक्टर 62 के तीनों ग्रुप में ऐसी बूथ साइटें आप मात्र 10 लाख 17 हजार 700 में ले सकते हैं। सेक्टर 65 के तीनों ग्रुपों में कई प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस 30 लाख 72 हजार 900 रुपये रखा गया है।

पहले भी हो चुकी बदमाशी

अक्टूबर 2015 में सेक्टर 12 में एसआरएस मॉल के पास हूडा अफसरों ने 67 व्यावसायिक साइट इसी तरह ई-आक्शन में बेची थीं। लेकिन एक मंत्री के भतीजे को मनचाहा प्लॉट नहीं मिला तो उस मंत्री ने तत्कालीन संपदा अधिकारी राजेश से कहकर पूरी नीलामी ही रद्द करा दी, जबकि हूडा फरीदाबाद सभी खरीदारों से पैसे स्वीकार कर चुका था। सेक्टर 12 के इन एससीओ साइटों का रिजर्व प्राइस 2 करोड़ 40 लाख रुपये रखा गया था। लेकिन नीलामी में बोली के जरिए इनके रेट 5 करोड़ तक जा पहुंचे।

लेकिन इस बहुचर्चित मामले में भी हूडा के अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मंत्री ने इस पूरी नीलामी की जांच करा डाली। जांच रिपोर्ट आई तो उसमें हूडा के एकाउंट्स अफसर समेत 6 क्लर्कों को चार्जशीट की गई। इन पर ऊंची कीमत के एससीओ को कम कीमत में बेचने का आरोप लगा था। यह मामला बस चार्जशीट तक पहुंचा लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं हुई। नियमानुसार चार्जशीट के बाद एक्शन होना था, जो नहीं हुआ। लेकिन उस समय मंत्री को बस संतुष्ट कर दिया गया। इस धंधेबाजी से अफसर और बाबू ने खूब मलाई काटी, मंत्री संतुष्ट हुआ और नुकसान हरियाणा सरकार को हुआ।

इस बार तमाम व्यावसायिक और घरेलू प्लॉटों के मामले में भी रिजर्व प्राइस की आड़ लेकर खेल दोहराया जाने वाला है। 23 जुलाई को होने वाली ई-आक्शन से सही तस्वीर सामने आ जाएगी।